राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 1821/2012/झुंझुनू

वाणिज्यिक कर अधिकारी
वृत्त–झुंझुनू। .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स श्याम फर्नीचर झुंझुनू।

....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री अमर सिंह – सदस्य

उपस्थित : :

श्री जमील जई,
उपराजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री वी.सी.सोगानी, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 09/01/2014

निर्णय

1. यह अपील वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–झुंझुनू (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 3/आरवेट/झुंझुनू/2011–12 में पारित किये गये आदेश दिनांक 28.02.2012 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसायिक स्थल का सर्वेक्षण सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, झुन्झुनू द्वारा किया गया। जिस पर कुछ लूज पेपर अभिग्रहित किये गये तथा उपलब्ध स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया गया। भौतिक सत्यापन पर अधिक व बिना जमा खर्च के पाये गये स्टॉक पर धारा 75(8) के तहत शास्ति रूपये 5069/– व कर @ 5 प्रतिशत से रूपये 1014/– आरोपित की गयी।

वक्त सर्वेक्षण पाये गये स्टॉक रूपये 514.00 जो कि 14 प्रतिशत से कर योग्य था, वह बिना विक्रय बिल जारी किये उचन्ती विक्रय करने के कारण 14 प्रतिशत से कर रूपये 72 तथा धारा 61 के अन्तर्गत रूपये 44/– शास्ति आरोपित की गई।

वक्त सर्वेक्षण अभिगृहित दस्तावेजों के अंकेक्षण के आधार पर 5 प्रतिशत कर योग्य माल की बिक्री रूपये 48,046/– पर कर रूपये 2,404/– एवं 14 प्रतिशत कर योग्य माल की बिक्री रूपये 1,80,808/– पर कर राशि रूपये 25,313/– इस कारण आरोपित किये गये कि उनका इन्द्राज बहियात में नहीं किया गया। उक्त कर राशि पर धारा 61 के अन्तर्गत शास्ति रूपये 55,434/– आरोपित की गई। संक्षेप में अपीलार्थी के विरूद्ध कुल मांग रूपये 92,042/– आरोपित करते हुऐ आदेश पारित किया गया जिसके विरूद्ध उक्त अपील प्रस्तुत की गई है।

लगातार.....2

अपील पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी की अपील को आंशिक स्वीकार करते हुए कुल मांग रूपये 92,042/– में से निम्न मांग कायम रखते हुए शेष मांग को अपास्त कर दिया गय :–

(i)	शास्ति धारा 75(8)		5069
(ii)	रू. 2,28,884 पर @ 50% से कर रूपये		1144
(iii)	धारा 61 में शास्ति	रूपये	2288
(iv)	धारा 55 के तहत ब्याज	रूपये	240
	कुल मांग	**रूपये**	**8741**

इस प्रकार कुल मांग रूपये 92040/– में से रूपये 8741/– कायम रखते हुये शेष मांग रूपये 83,301/– को अपास्त कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध विभाग द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

4. विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के फैसले को उचित बताते हुये अपीलीय अधिकारी के निर्णय को अविधिक बताया। उनके अनुसार अपीलीय अधिकारी द्वारा उचन्ती बिक्री पर 5 प्रतिशत एवं 14 प्रतिशत के स्थान पर 0.50 प्रतिशत से कर दायित्व मानने में भूल की है। श्री जमील जई के अनुसार व्यवहारी धारा 3(2) of RVAT Act 2003 के तहत पंजीकृत था। परन्तु उसके द्वारा करापवंचन किया जाना प्रमाणित हुआ है। जब किसी व्यवसायी का करापवंचन का कृत्य प्रमाणित हो जाता है तो वह धारा 3(2) से बाहर हो जाता है। तथा फलस्वरूप सामान्य व्यवसायी की तरह उस पर अधिसूचित कर दर से ही कर दायित्व बनता है। इस तथ्य को नकारते हुये अपीलीय अधिकारी द्वारा धारा 3(2) के तहत ही व्यवसायी को मानते हुये धारा 4(3) के तहत अधिसूचित दर @ 0.50 प्रतिशत से ही कर दायित्व कायम रखा है शेष को अपास्त किया गया है, अविधिक है। उसी के अनुसार शास्ति व ब्याज को कम कर दिया गया है। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश को अनुचित बताते हुये विभाग की अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि श्री वी.सी.सोगानी ने अपनी बहस में बताया कि जब तक व्यवहारी धारा 3(2) के तहत पंजीकृत है तथा उसको उससे बाहर नहीं किया जाता है। उस पर प्रभावी दर धारा 4(3) के अनुसार ही देय है अतः अपीलीय अधिकारी का फैसला पूर्णतया विधिनुकूल व उचित है अतः उसे कायम रखा जाकर विभाग की अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

लगातार.....3

6. दोनों पक्षों की बहस व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। तथ्यों से यह स्पष्ट है कि व्यवहारी सर्वेक्षण के दिन व उसके बाद भी धारा 3(2) के तहत विकल्प लेते हुये पंजीकृत है। तथा सर्वेक्षण के बाद जब करापवंचन का अभियोग बनाया गया उसके बाद भी उसके पंजीयन को संशोधित किया जाकर उसे धारा 3(2) के तहत पंजीकृत होने से बाहर नहीं किया गया है। जब तक व्यवहारी धारा 3(2) के तहत विकल्प रूप के पंजीकृत है तब तक उस पर धारा 4(3) के तहत अधिसूचित दर @ 0.50 प्रतिशत से ही कर दायित्व बनता है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा उचित रूप से आदेश पारित कर, कर दायित्व @ 0.50 प्रतिशत कायम रखा गया है। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है अतः उसमें हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश नहीं है। परिणामस्वरूप विभाग की अपील अस्वीकार की जाती है।

7. फलतः विभागीय अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

9-1-14

(अमर सिंह)
सदस्य